WWJMRD 2020; 6(8): 36-39
www.wwjmrd.com
International Journal
Peer Reviewed Journal
Refereed Journal
Indexed Journal
Impact Factor MJIF: 4.25
E-ISSN: 2454-6615

पंकज मिश्रा
पीएच.डी. अध्येता– भूगोल,
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह
महाविद्यायल रीवा (म०प्र०), भारत

Correspondence:
पंकज मिश्रा
पीएच.डी. अध्येता– भूगोल,
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह
महाविद्यायल रीवा (म०प्र०), भारत

''बैगा जनजाति की पारिवारिक व्यवस्था : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन'' (उमरिया जिले के विशेष सन्दर्भ में)

पंकज मिश्रा

सारांशः
सामाजिक–संगठन की रचना कुछ विशेष प्रकार के समूहों के बीच अर्न्तसंबंधों से होती है। ये वे समूह होते हैं, जिनसे सामाजिक जीवन सम्भव होता है। परिवार सामाजिक–संगठन का एक आधारभूत घटक है। मोटे तौर पर माता–पिता और बच्चों के समूह को परिवार कहते है। परिवार संतानोत्पत्ति की क्रियाओं का नियमन करने के साथ–साथ भावनात्मक घनिष्ठता का वातावरण सदस्यों को प्रदान करता है। सांस्कृतिक विरासत के हस्तांतरण का कार्य परिवार करता है। कुल मिला कर परिवार सामाजिक संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण एवं सर्वव्यापी सामाजिक संस्था है। बैगा जनजाति में भी सामाजिक संगठन की सुदृढ़ रचना पाई जाती है। परिवार बैगाओं के सामाजिक–संगठन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई है।

मूल शब्दः बैगा जनजाति, परिवार, संगठन, उमरिया जिला.

प्रस्तावनाः
परिवार बैगा सामाजिक–संगठन का आधारभूत घटक है। बैगाआ में बहुपत्नी परिवार प्रथा पायी जाती है। इसका कारण यह है कि बैगाओं में स्त्रियों की संख्या पुरुषों में बहुत अधिक है। (एल्विन. वही : 285) 1931 जनगणना 1000 पुरुषों पर 1355 स्त्रियों तथा शोध के दौरान प्रति हजार पुरुषों पर 1022 महिलाएँ पायी जाती रही हैं। अतः बहुपत्नी प्रथा के परिवारों का प्रचलन हुआ होगा। अब जबकि स्त्रियों की संख्या पूर्व की तुलना में कम हो रही है, बहुपत्नी प्रथा भी कम होती जा रही है। चूंकि बैगा अपने ही समाज के अन्दर विवाह संबंध स्थापित करते हैं, तथा स्त्रियों का समाज से बाहर विवाह करना प्रतिबंधित रहा है। अतः पुरुषों की कम संख्या के कारण बैगा समाज में बहुपत्नी परिवार पाये जाते रहे हैं। बैगाओं की स्वतंत्र–प्रियता ने सदैव ही एकल परिवारों की स्थापना को प्रोत्साहित किया है, लेकिन आधुनिकता से सम्पर्क के कारण कमाई पर अधिकार को लेकर पारिवारिक–कलह के कारण भी एकल परिवार प्रणाली को बैगा अपनाते हैं।
सारे भाई–बहनों के विवाहोपरान्त परिवार से पृथक होने के कारण, माता–पिता की सेवा हेतु छोटा पुत्र माता–पिता के साथ रहता है, और स्वतः ही विशेष प्रकार के संयुक्त परिवार की स्थापना हो जाती है।
विस्तृत परिवार व्यवस्था के उदय में बैगाओं की स्वतंत्रता प्रियता तथा प्राचीन 'बेवार' कृषि हेतु अत्यधिक मानवीय श्रम की आवश्यकता उत्तरदायी रही है। स्वतंत्र–प्रियता के कारण विवाहोपरान्त नव–दम्पत्ति मूल परिवार की रचना कर पृथक रहने लगते हैं। एक मूल परिवार द्वारा अत्यधिक श्रम साध्य 'बेवार' कृषि करना सम्भव न था। अतः वंशानुक्रम द्वारा सम्बद्ध मूल परिवार दैनिक कार्यों में स्वायत्त रहते हुए भी, एक साथ कृषि में सहयोग करते रहे और 'विस्तृत–परिवार प्रणाली अस्त्तिव में आयी। किन्तु अब बेवार कृषि के प्रतिबन्धित होने और वन विभाग द्वारा कृषि हेतु भूखण्ड आवंटित किये जाते हैं। परिवारिक–विघटन के पश्चात कृषि हेतु नये भूखण्ड का पट्टा प्राप्त करना अत्यधिक दुष्कर व विलम्बसाध्य कार्य है। अतः नया कृषि भू–खण्ड प्राप्त न कर पाने के कारण, बैगा परिवार कई मूल परिवारों में विभाजित होते हुए भी सम्मिलित रूप से एक ही भूखण्ड पर एक इकाई के रूप में कृषि करते हैं। कृषि से सम्बद्ध जादू–टोना उन्हें एक धार्मिक–इकाई के रूप में भी सम्बद्ध रखता है। मूल परिवारों के इस संकुल को बैगा समाज की मान्यता प्राप्त रहती है। अतः बैगा समाज में विस्तृत–परिवार प्रणाली सफलतापूर्वक ''पारिवारिक सहकारिता'' का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करती है। इस व्यवस्था के कारण भूमि विभाजन नहीं होता तथा अधिक मानवीय श्रम की पूर्ति भी होती है।

उद्देश्यः

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य बैगाओं के परिवार एवं उनमें हो रहे बदलाबों की पारिवारिक संरचना का अध्ययन करना है। साथ ही इस बात का विश्लेषण करना कि, बैगा पारिवारिक संरचना किस तरह उनके जीवन के प्राचीन पक्ष से समायोजन में मदद करती है।

शोध प्राविधिः

प्रस्तुत शोध–पत्र में मध्यप्रदेश के उमरिया जिले के सर्वाधिक बैगा आबादी वाले 12 प्रतिशत गाँवों से 150 परिवारों का अध्ययन किया गया है। शोध–पत्र में आवश्यक सूचनाओं की प्राप्ति के लिए प्रश्नावली के माध्यम से सूचनाओं को एकत्र किया गया है इसके साथ–साथ समूह चर्चा के माध्यम से भी सूचनायें एकत्रित की गई है। प्राप्त आंकडो का सरलीकरण सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग करके विश्लेषण किया गया है।

प्राचीन बैगा परिवार व्यवस्थाः

रसेल व हीरालाल (1916:82) ने बैगा समाज में बहुविवाही परिवार का उल्लेख करते हुए बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन बताया है।

उप्रेती (1970:23) ने बैगा जनजाति में पितृसत्तात्मक, एक विवाही व बहु विवाही परिवारों का उल्लेख किया है। एल्विन (1939:78–79) के अनुसार– घर में प्रत्येक वस्तु, भवन से लेकर खाना पकाने का पात्र तक, पति या परिवार के पिता की सम्पत्ति है। एक बार एक पत्नी उसके घर में प्रवेश करती है, सब कुछ यहाँ तक कि उसके पसीने की कमाई उसके पति को जाती है। आभूषण वह उसे देता है, उसके मात्र उपयोग के लिए है, वह उसे पति को छोड़कर अन्य से विवाह करती है, वे लौटायें जाते हैं। कभी–कभी एक विधवा अपने पति की सम्पत्ति में से एक भाग ले सकती है। ये उसके पुनर्विवाह के पश्चात भी उसकी रहती है। पुत्र और पुत्रियों को जो कुछ भी वे कमा सकते हैं, पिता को सौंपना चाहिए। उसकी कुल्हाड़ी तक उसकी न होकर, उसके पिता की होती है।

आधुनिक बैगा परिवार व्यवस्था

शोध से ज्ञात हुआ, कि आधुनिक समय में भी बैगा समाज मे परिवार सामाजिक–संगठन का एक आधारभूत घटक है। बैगा जनजाति में परिवार के दोनों स्वरूप समिति एवं संस्था उसके कार्यो के आधार पर विद्यमान है। बैगा परिवार सामाजिक–सहकारिता का जीवंत उदहारण बना हुआ है, स्वरूप की दृष्टि से बैगा परिवार–पितृवंशीय, पितृसत्तात्मक एवं पितृस्थानीय होते है। अधिकांश परिवार एक विवाही होते है। अपवाद स्वरूप 'बहुपत्नी' परिवार भी पाये जा सकते है। **'लमसेना'** (सेवा विवाह) से विवाहोपरान्त बनाने वाले परिवार 'मात्रस्थानीय' किन्तु 'पितृ–सत्तात्मक' होते है।

शोध के दौरान पाया गया कि कुल अध्यायित 150 परिवारों में से 39(26.00 प्रतिशत) परिवार संयुक्त परिवार तथा 111 (74.00 प्रतिशत) एकल परिवार पाये गये परिवार का वरिष्ठतम पुरुष सदस्य परिवार का मुखिया होता है।

आकार की दृष्टि से बैगा परिवार को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है–

(1) एकाकी या मूल परिवार
(2) संयुक्त परिवार
(3) विस्तृत परिवार।

(1) एकाकी या मूल परिवार :

विवाहोपरान्त अधिकांश नव–दम्पति अपने जन्म के परिवार से अलग होने का निर्णय लेते हैं। उनके अलग होने के निर्णय को सामान्यतः पिता की स्वीकृति प्राप्त रहती है। पिता की स्वीकृति से अलग होने वाले पुत्र को नया घर बनाने में पिता का सहयोग मिल जाता है। तथा पिता घर–गृहस्थी की आवश्यक वस्तुएँ भी अपनी क्षमतानुसार उपलब्ध कराता है। यदि पुत्र पिता की स्वीकृति बिना अपने जन्म के परिवार से अलग होकर अपना परिवार बसाता है, तो वह पिता से किसी वस्तु की प्राप्ति का दावा नहीं कर सकता और न ही मकान बनाने में मदद की आकांक्षा रख सकता है। वैसे सामान्यतः पिता पुत्र को अलग होने की अनुमति प्रदान कर देता है। नया घर सामान्यतः पूर्व के घर के आस–पास रिक्त पड़ी भूमि पर ही बनाया जाता है। जगह उपलब्ध न होने की स्थिति में मकान पिता के घर से दूर अन्य स्थान पर भी बनाया जा सकता है।

(2) संयुक्त परिवारः

बैगा लोग संयुक्त परिवार प्रणाली को अपनाते है। लेकिन इनके संयुक्त परिवार के सामान्य स्वरूप से भिन्न प्रकार के होते है। विवाहोपरान्त पुत्रियाँ पति के घर जा कर रहने लगती है, जबकि पुत्र अलग घर बनाकर रहने लगते है। लेकिन सबसे छोटा पुत्र जिसका विवाह सबसे बाद में होता है, विवाहोपरान्त भी माता–पिता के साथ ही अपनी पत्नी सहित रहता है। उनके द्वारा माता–पिता का सम्पूर्ण दायित्व वहन किया जाता है।

एम.एस.गोरे (1968:4–5) के अनुसार उस परिवार को आदर्श संयुक्त परिवार कहा जाता है। जिसमें पति उसकी पत्नी और उनके विवाहित वयस्क पुत्र उनकी पत्नियाँ और बच्चे तथा अविवाहित पुत्र/पुत्रियाँ उनके साथ होते है। बैगा वंशावलियों के माध्यम से स्पष्ट होता है, कि सदैव ही परिवार का सबसे छोटा पुत्र, अपनी पत्नी तथा अविवाहित सन्तानों के साथ परिवार के बुजुर्ग सदस्यों के साथ रहता है, और ये बुजुर्ग सदस्य वंशावली में सीधी रेखा में स्थित होते है।

(3) विस्तृत परिवारः

बैगा समाज में एक ही वंशानुक्रम से सम्बद्ध मूल परिवार अलग हो जाने के बाद भी कुछ विशेष सामाजिक–संबंधों के माध्यम से आपस में जुड़े रहते हैं। जैसे एक ही पिता की सभी सन्तानें कृषि में सम्मिलित रहती है, जबकि, दैनिक जीवन में वे पृथक रहते हुए अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र होते है। सभी भाई 'मूल परिवारों' में पृथक रहते हैं, लेकिन कृषि कार्य मिलकर करते हैं तथा प्राप्त कृषि उपज को आपस में बांट लेते हैं। कभी–कभी इस पारिवारिक–सहकारी–कृषि में चचेरे–भाई भी सम्मिलित रहते हैं।

इस 'पारिवारिक–सहकारी–कृषि' के अतिरिक्त एक और सामाजिक आधार पर भी बैगा मूल परिवार आपस में संयुक्त रहते है। वह नियम है, जनजातीय निषेध का। जब भी किसी 'मूल परिवार या संयुक्त परिवार' का कोई सदस्य, जनजातीय निषेध का उल्लंघन करता है, तो बैगा समाज के नियमानुसार, सामाजिक निषेध का उल्लंघन करने वाला सदस्य या उसका मूल परिवार या संयुक्त परिवार ही सामाजिक रूप से बहिष्कृत नहीं होगा, बल्कि वंशानुक्रम से सम्बद्ध इन मूल एवं संयुक्त परिवारों के संकुल को 'विस्तृत–परिवार' की संज्ञा प्रदान की जा सकती है।

हर्सकोवित्ज की रचना 'कल्चरल एन्थ्रोपोलॉजीर' रघुराज गुप्त अनुदित, 1960 पृ0–169–170 पर आधुनिक पेरू के ऐमारा समाज में आर्थिक इकाई और एक ही बाड़े में निवासित परिवारों को 'विस्तृत परिवार' कहा गया है। दुबे (1960:107, 122) पर भी विस्तृत परिवार की अवधारणा लागू होती है। बैगा समाज के ये परिवार भी सामान्यतः एक ही मेरो बागड़ के घेरे में निवासित है तथा आर्थिक व सामाजिक रूप से परस्पर सम्बद्ध है। अतः विस्तृत–परिवार कहे जा सकते हैं। प्रत्येक बैगा परिवार वह मूल–परिवार हो या संयुक्त परिवार, विस्तृत परिवार से निश्चित रूप से सम्बद्ध हैं।

संरचना के आधार पर बैगा परिवारः

सारणी 1.1 (क) – संरचना के आधार पर बैगा परिवार

संयुक्त परिवार	संयुक्त परिवार में रहने के कारण			
	आर्थिक सुरक्षा	समाजिक सुरक्षा	माता–पिता की सेवा	आपसी प्रेम
39 (26.00 प्रति.)	03 (7.70 प्रति.)	01 (2.56 प्रति.)	30 (76.92 प्रति.)	05 (12.82 प्रति.)

सारणी क्रमांक 1.1 (ख)– संरचना के आधार पर बैगा परिवार

एकल परिवार	एकल परिवार में रहने के कारण			
	गृह कलह	कमाई पर अधिकार	स्वतंत्रता की चाह	एकान्त की चाह
111 (74.00 प्रति.)	08 (7.20 प्रति.)	14 (12.62 प्रति.)	74 (66.67 प्रति.)	15 (13.51 प्रति.)

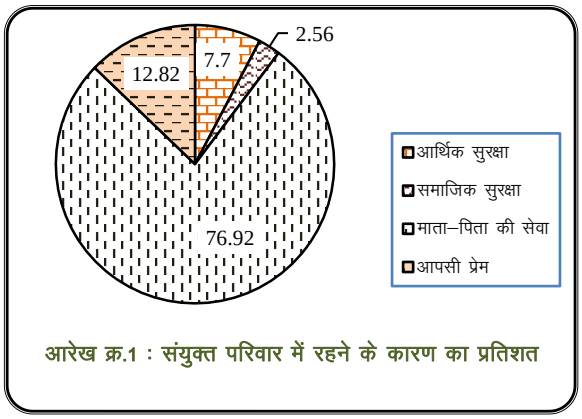

आरेख क्र.1 : संयुक्त परिवार में रहने के कारण का प्रतिशत

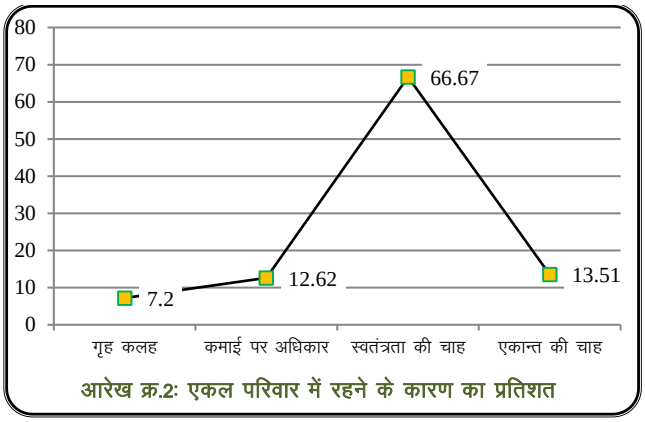

आरेख क्र.2: एकल परिवार में रहने के कारण का प्रतिशत

सारणी क्रमांक 1.1(क) एवं 1.1 (ख) से स्पष्ट होता है, कि 26.00 प्रतिशत सर्वाधिक संयुक्त परिवार पाये गये। जिनमें से सर्वाधिक 76.92 प्रतिशत परिवार माता–पिता की सेवा के कारण संयुक्त परिवार में रहते हैं, जबकि सबसे कम 2.56 प्रतिशत परिवार सामाजिक सुरक्षा के कारण संयुक्त परिवार में रहते हैं। 74.00 प्रतिशत एकल परिवार पाये गये, जिनमें से 66.67 प्रतिशत स्वतंत्रता की चाह के कारण एकल परिवार में रहते हैं, जबकि 7. 20 न्यूनतम परिवार संयुक्त परिवार में गृह कलह के कारण एकल परिवार में रहते हैं।

सारणी क्रमांक 1.2–सदस्य संख्या पर आधरित बैगा परिवार

कुल परिवार	3 से 6 सदस्यीय परिवार	7 से 9 सदस्यीय परिवार	10 से 12 सदस्यीय परिवार
150 (100 प्रति.)	99 (66.00 प्रति.)	39 (26.00 प्रति.)	12 (8.00 प्रति.)

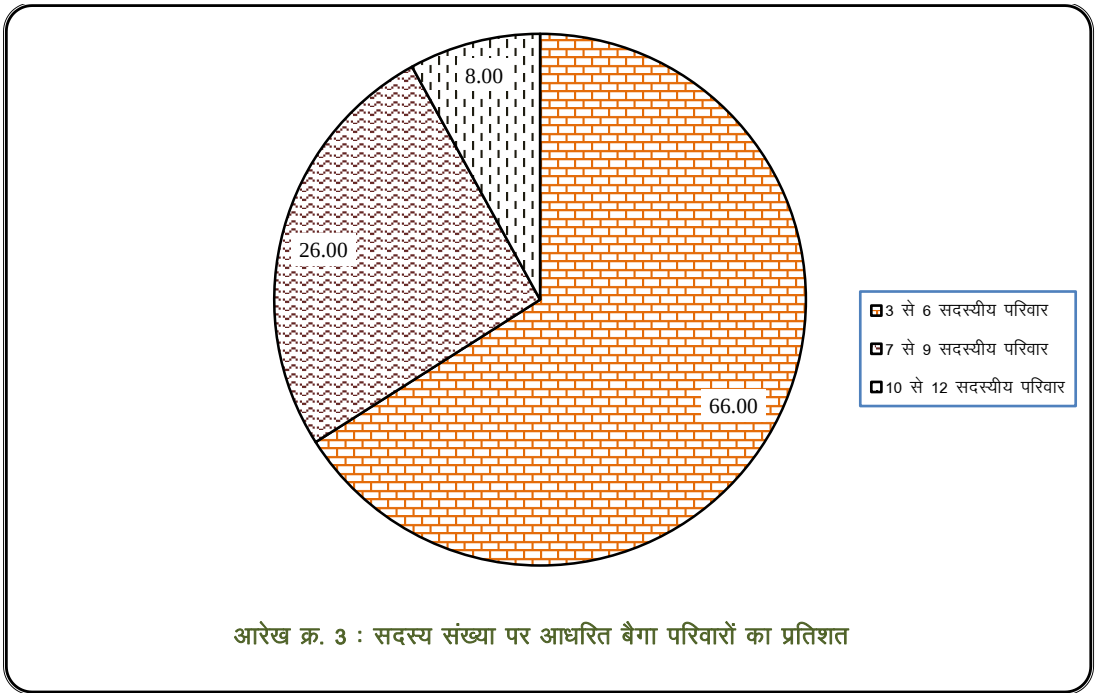

आरेख क्र. 3 : सदस्य संख्या पर आधरित बैगा परिवारों का प्रतिशत

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है, कि बैगा समाज में सर्वाधिक परिवार 99 (66.00 प्रति.) 3 से 6 सदस्यीय है। जबकि न्यूनतम 12 (8.00 प्रति.) 10 से 12 सदस्यीय परिवार है। अतः कहा जा सकता है, कि बैगा समाज अधिक बड़े परिवारों का पक्षधर नहीं है।

निष्कर्षः

शोध के निष्कर्ष में पाया गया, कि –

1) बैगा समाज में संयुक्त परिवार का महत्व कम होता जा रहा है।
2) बहु–पत्नीक परिवारों के स्थान पर एक–पत्नीक परिवार तेजी से स्थापित होते जा रहे है।
3) परिवार के अन्दर बुजुर्ग सदस्यों का सम्मान अपेक्षाकृत कम होता जा रहा है।
4) जबकि आधुनिक समाज का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा गई।

संदर्भ स्रोतः

1. रसेल व हीरालाल, ट्राइब्स एंड कास्ट्स ऑफ सेन्ट्रल प्रोविन्सेस ऑफ इण्डिया 1916 : 82
2. उप्रेती,एच0सी0,भारतीय जनजातियाँ, ओरियंटल प्रकाशन,1970:23
3. एल्विन वी0, द बैगा, जॉन मुर्रे, लन्दन 1939 : 78–79
4. गोरे, एम.एस. अर्बनाइजेशन एण्ड फैमिली चेंज इन इंडिया, पॉपुलर प्रकाशन बम्बई 1968:4–5
5. एल्विन वी0, द बैगा, जॉन मुर्रे, लन्दन 1939: 285